

बिहार सरकार
वाणिज्य—कर विभाग

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6/अ0—03—06/2020

पटना, दिनांक:—

श्री संदीप तैतरवे, राज्य—कर उपायुक्त (56—59वीं बैच), अन्वेषण ब्यूरो, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम 159 के तहत 10.08.2025 को रविवारीय अवकाश एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 11.08.2025 से 17.08.2025 तक 07 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री तैतरवे के अवकाश लेखा में (229—07=222) दो सौ बाईस दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

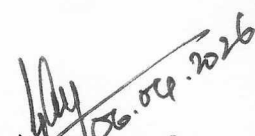
वाणिज्य—कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6/अ0—03—06/2020 1186

पटना, दिनांक:— 07/08/26

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर/राज्य—कर अपर आयुक्त (प्रशासन), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, /राज्य—कर संयुक्त आयुक्त— सह— नोडल पदाधिकारी, एच0 आर0 एम0 एस0, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य—कर उपायुक्त —सह— एच0आर मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य—कर संयुक्त आयुक्त—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री संदीप तैतरवे, राज्य—कर उपायुक्त (56—59वीं बैच), अन्वेषण ब्यूरो, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य—कर विभाग
बिहार, पटना।